रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 1983/वैशाख 7, 1905

No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 1983/VAISAKHA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1983

सं० 127/83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 355(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 18 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले पालीप्रोपिलीन स्टेपिल फाइबर और पालीप्रोपिलीन टो को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 50/26/82-सी एक्स 2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1983

No. 127/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts polypropylene staple fibre and polypropylene tow, falling under sub-item I of Item 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of October, 1983.

[F. No. 50/26/82-CX. 2]

सं० 128/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 356(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 18ङ के अंतर्गत आने वाले पालीप्रोपिलीन कते सूत और पालीप्रोपिलीन सम्मिश्रित सूत को (जिसमें पालीप्रोपिलीन स्टेपिल फाइबर की मात्रा 50 प्रतिशत से कम नहीं है), उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 50/26/82 सी एक्स-2]
एच० तिवारी, अवर सचिव

No. 128/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts polypropylene spun yarn and polypropylene blended yarn (with content of not less than fifty per cent by weight of polypropylene staple fibre), falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of October, 1983.

[F. No. 50/26/82-CX. 2]
H. TEWARI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983